

॥ पूज्य जयमल्लाय नमः॥

गृहस्थ धर्म के लिए परम आवश्यक

श्रावक के १२ ब्रत

इस प्रकार मैंने देव, गुरु, धर्म, आत्मा, परमात्मा की साक्षी से आज दिनांक मिति के दिन पूज्य गुरुदेव संयम शिरोमणि आगम विवेचक पण्डित रत्न उपाध्याय प्रवर श्री पाश्वचन्द्रजी म.सा., प्रवचन प्रभावक, अणुप्पेहा ध्यान प्रणेता, १२ ब्रतों के प्रबल प्रेरक डॉ. श्री पदमचन्द्रजी म.सा. की सदकृपा से बारह ब्रत घारण किये। ब्रत प्रत्याख्यान पालन करने में कोई भूल-घूल होने पर मैं पश्चाताप, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धिकरण करूँगा/करूँगी।

श्रावक / श्राविका का नाम उम्र

पिता / पति का नाम

पता

.....

हरताथार

-प्रकाशक-

श्री जयमल जैन पाश्व-पड्मोदय फाउण्डेशन, चेन्नई

श्री जयमल जैन पौष्टि शाला, पी.एम. बोहरा 'जय परिसर'

३-ए, वेपेरी चर्च रोड, चेन्नई - ६०० ००७.

पुस्तक : श्रावक के १२ द्वात
प्रकाशक : श्री जयमल जैन पार्श्व-पश्चोदय फाउण्डेशन, चेन्नई
आशीर्वाद : जयगच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री शुभमन्द्रजी म.सा.
संघम शिरोमणि आगम विवेचक पं. रत्न उपाध्याय
प्रवर श्री पार्श्वचन्द्रजी म.सा.
संपादन : अनुप्येहा ध्यान प्रणेता, स्वाध्याय एवं १२ द्वातों के
प्रबल प्रेरक प्रवचन प्रभावक डॉ. श्री पदमचन्द्रजी म.सा.
संस्करण : प्रथम (१०००० प्रतियाँ) सन् २००३
द्वितीय (१०००० प्रतियाँ) सन् २००४
तृतीय (१०००० प्रतियाँ) सन् २००८
चतुर्थ (५००० प्रतियाँ) सन् २०१५
पंथम (१००० प्रतियाँ) सन् २०१५
मूल्य : रु. १८/-
मुद्रक : **SHREE PRINTING**
जुना सराका बाजार, अमरावती
संपर्क : ०९९७००९५४२४, ०९७६६७९०८१७
Email : shreeprinting.amravati@gmail.com

गौरवमयी जय परम्परा

आचार्य परम्परा

१. आचार्य सप्तांट श्री जयमलजी म.सा.
२. आचार्य प्रवर श्री रायचंदजी म.सा.
३. आचार्य प्रवर श्री आशकरणजी म.सा.
४. आचार्य प्रवर श्री सबलदासजी म.सा.
५. आचार्य प्रवर श्री हीरचंदजी म.सा.
६. आचार्य प्रवर श्री कस्तूरचंदजी म.सा.
७. आचार्य प्रवर श्री भीकमचंदजी म.सा.
८. आचार्य प्रवर श्री कानमलजी म.सा.
९. आचार्य प्रवर श्री जीतमलजी म.सा.
१०. आचार्य प्रवर श्री लालचंदजी म.सा.
११. आचार्य प्रवर श्री शुभचन्द्रजी म.सा.

स्वामी परम्परा

१. स्वामी प्रवर श्री कुशालचंदजी म.सा.
२. स्वामी प्रवर श्री हरकचंदजी म.सा.
३. स्वामी प्रवर श्री भगवानदासजी म.सा.
४. स्वामी प्रवर श्री सूरजमलजी म.सा.
५. स्वामी प्रवर श्री दयाचंदजी म.सा.
६. स्वामी प्रवर श्री राजमलजी म.सा.
७. स्वामी प्रवर श्री नथमलजी म.सा.
८. स्वामी प्रवर श्री चौथमलजी म.सा.
९. स्वामी प्रवर श्री कछावरमलजी म.सा.
१०. स्वामी प्रवर श्री रावतमलजी म.सा.
११. स्वामी प्रवर श्री चांदमलजी म.सा.

सम्यकत्व

तत्त्वों के ऊपर यथार्थ भद्रान् उत्पन्न होने का नाम सम्यकत्व है। व्यवहार में सम्यकत्वी की पहचान देव-गुरु-धर्म पर यथार्थ भद्रान् से होती है।

- १) **देव तत्त्व :** सामान्य अपेक्षा से देवों को ३ बगों में वर्गीकृत किया गया है:- (अ) सुदेव, (आ) सामान्य देव, (इ) कुदेव।
- (अ) **सुदेव :** ४ या ८ कमों के नाशक राग-द्वेष के विजेता जन्म-मरण से मुक्त होने वाले स्व-पर के कल्याण रूप अरिहंत प्रभु और सिद्ध प्रभु सुदेव की श्रेणी में आते हैं, अतः आत्म कल्याण के प्रयोजन से इन्हें ही देव मानना चाहिए।
- (आ) **सामान्य देव :** देवी-देवताओं को नहीं मसात्तिक मनोवृत्ति वाले सरागी देवों को सामान्य देव कहते हैं। सांसारिक अवस्था में मन की कमजोरी के कारण आगार धर्म के अंतर्गत सरागी देवी-देवताओं को सांसारिक जरूरत पड़ने पर मानना पड़ता है तो सम्यकत्व में दोष लगता है पर समकित ब्रत भंग नहीं होता है। ये वर्तमान में लौकिक देव की पर्याय में रहते हैं। इनमें मुख्यतः भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक धार प्रकार के होते हैं। उदाहरण जैसे : घर की कुलदेवी, कुल देव, पैतृक देव, लक्ष्मी, गणेश, सप्तस्ती आदि।
धर्म समझ कर ऐसे इनना चाहिए।
- (इ) **कुदेव :** जिन देवी-देवताओं के आगे हिंसा होती है, वलि

चक्ती है, ऐसे तामसिक वृत्ति के मिथ्यादृष्टि देवों को कुदेव माना गया है। ऐसे देवी-देवताओं के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना, मनौती मानना आदि निषेध है। ऐसे देवी-देवताओं को मानने से सम्यक्त्व ब्रत भंग हो जाता है।

२) गुरु : गुरु भी तीन प्रकार के होते हैं :- (अ) सुगुरु (आ) सामान्य गुरु (इ) कुगुरु।

(अ) सुगुरु : पंच महाब्रत धारी, पांच समिति तीन गुरु के पालक, २७ गुणों के धारक, निर्णय मुनिराज सुगुरु की श्रेणी में आते हैं। आत्म कल्याण के प्रयोजन से इन्हें ही अपना गुरु मानना चाहिए। वि.सं. १७८८ से १८५३ तक निरन्तर समग्र मारवाड़ के जन-जन को स्थानकवासी शुद्ध जैन धर्म धारण कराने वाले एक भवावतारी आचार्य सम्राट् श्री जयमलजी म.सा. ने घोर परिषहों को दृढ़ता पूर्वक सहन करके तत्कालीन यतियों के द्वारा धर्म के नाम पर फैलाई गई भ्रामक भ्रान्तियां, शिथिलाथार, स्वेच्छाथार निवाण हेतु यतिवर्ग से हर जगह शास्त्रार्थ कर यतियों को परास्त किया और समग्र मारवाड़ देश में स्थानकवासी शुद्ध जैन धर्म की ज्योति जगाई। अतः समस्त मारवाड़ देशीय जो वर्तमान में भले कहीं निवास कर रहे हैं उन सभी के आदि गुरु आचार्य श्री जयमलजी म.सा. हैं। उनके उपकारों को प्रतिपल प्रतिक्षण स्परण में रखना कृतज्ञता है। सम्यक्त्व शुद्धि के लिए प्रतिदिन चमत्कारी जयमल जाप करें।

(आ) सामान्य गुरु : जो लौकिक व्यवहार की शिक्षा देते हैं, चलना, उठना, बैठना, बोलना आदि (६४ कला/७२कला)

सिखाते हैं। ऐसे सभी गुरुजन, माता, पिता आदि सामान्य गुरु की श्रेणी में आते हैं। व्यवहार की दृष्टि से इनका आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए।

- (इ) **कुण्डुरूङ् :** गुरु नाम धारी जो धर्म या व्यवहार से रहित अधर्म की शिक्षाएं दें, अधर्म का उपदेश दें, वे कुण्डुरूङ् की श्रेणी में आते हैं। जैसे जोगी, बाबा, पीर, फकीर, संन्यासी, साधु वेश धारी आदि। इन्हें गुरु बुद्धि से दान नहीं देना चाहिए। अनुकम्पा की भावना से दान देने की तीर्थकर भगवतों की मनाई नहीं है। इन्हें सविधि वन्दन नहीं करना चाहिए।
- ३) **धर्म :** जो दुर्गति में गिरते हुए जीवों को धारण करे उसे धर्म कहते हैं। व्यवहार की अपेक्षा से धर्म के तीन भेद किए गए हैं :
- (अ) **सुधर्म (आ)** सामान्य धर्म (इ) **कुधर्म।**
- (अ) **सुधर्म :** जिस धर्म में अहिंसा, संयम एवं तप की प्रशानता हो वह सुधर्म कहलाता है। अहिंसा का आशय है प्राणी मात्र के प्रति अनुकम्पा की भावना अर्थात् छः काय के जीवों के प्रति रक्षा की भावना। संयम का आशय है इन्द्रिय, कषाय और मन इन सभी को निग्रहित करना। तप का आशय पूर्व उपार्जित कर्मों को निजरित करना है अर्थात् आत्मा के साथ लगे कर्मों का क्षय करना।
- (आ) **सामान्य धर्म :** सांसारिक प्रवृत्ति जो कर्तव्य समझ कर करनी पड़ती है उन्हें सामान्य धर्म के अन्तर्गत लिया गया है। जैसे परिवार का पालन पोषण करना आदि, लेकिन इसमें अनासवत्ता रहना चाहिये।

(इ) कुरुक्षर्म : जिस धर्म में हिंसा का उपदेश हो, मिथ्यात्व आदि का उपदेश हो, या मांसाहार-सम दुर्व्यवहार आदि का निवेद्य नहीं हो, संसार परिभ्रमण बढ़ाने वाली कथा वार्ता हो ऐसे धर्म को कुरुक्षर्म माना गया है।

व्यवहार सम्यकत्व के लक्षण

निश्चय में केवली भगवान ही जान सकते हैं कि कौन सम्यकत्वी है और कौन मिथ्यात्वी है, लेकिन व्यवहार में निम्न पांच लक्षणों से सम्यकत्व की पहचान हो सकती है।

- (१) सम/शम : शम अर्थात् अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ का उपशमन करना एवं सम अर्थात् शत्रु-मित्र पर समझाव रखना।
- (२) खंडेजा : वैराग्यभाव अर्थात् संसार परिभ्रमण के बेग को रोककर मोक्ष की तीव्र अभिलाषा करना अर्थात् पाप भीरु बनकर धर्म की रुचि जागृत करना।
- (३) निर्वेद : वेद का आशय यहाँ पर भोगों की अभिलाषा से है। निर्वेद अर्थात् सांसारिक काम भोगों में उदासीन बनकर आंशिक या पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में रमण करना, आरंभ परिग्रह से निवृत्त होना।
- (४) अग्रुकम्पा : प्राणी मात्र के दुःखों को देखकर, सुन कर या जान कर उनके प्रति हृदय में दया की भावना उत्पन्न होना। उनके दुःखों को दूर करने के लिए मन, वचन, काया से प्रयत्न करना।

- (५) आस्था : तीर्थकर भगवंतों पर एवं उनकी वाणी पर दृढ़ विश्वास करना। सुदेव, सुगुल पर श्रद्धान् रखना।

सम्यकत्व के दृष्टिकोण

सम्यकत्व व्रत में निम्न ५ कारणों से मलीनता आने की संभावना रहती है, अतः इन पांच कारणों से बचना चाहिए –

- (१) शंका : वीतराग वचनों में शंका करना।
- (२) कांक्षा : मिथ्यात्मी देव, गुरु और धर्म के प्रभाव को, आष्टम्यरों को देख कर उनकी अभिलाषा करना।
- (३) वितिगिर्जा (विचिकित्सा) : धर्म आराधना के फल में संदेह उत्पन्न करना अथवा साधु-साधियों के मलिन वस्त्र देख कर मन में घृणा उत्पन्न करना।
- (४) परपाखंडी प्रशंसा : जिन धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के वैभव को देखकर उनकी प्रशंसा करना।
- (५) परपाखंडी संस्करण : जिन धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्बियों के साथ या जिन धर्म से पतित साधुओं के साथ निकटता, परिचय करना, साथ में रहना आदि।

सम्यकत्व के आगार

आगार धर्म के अन्तर्गत जिनका मनोबल कमज़ोर हो उनके लिए सम्यकत्व में छः आगार बताए गए हैं। आगार का सेवन करने पर सम्यकत्व में दोष लगता है। लेकिन सम्यकत्व व्रत भंग नहीं होता। उन लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण, प्रायशित द्वारा शुद्धिकरण सम्भव होता है।

- (१) **राजाभियोग** : राजा आदि के दबाव से कुदेव, कुगुरु या कुर्धम को बंदनादि करना पड़े तो आगार।
- (२) **गणाभियोग** : गण अर्थात् समूह, कुटुम्ब जाति पंचादि के द्वारा दबाव डालने पर कुतीर्थियों को बंदनादि करना पड़े तो आगार।
- (३) **बलाभियोग** : बलवान व्यक्ति के दबाव से कुतीर्थियों को बंदनादि करना पड़े तो आगार।
- (४) **देवाभियोग** : देवताओं के भय से कुतीर्थियों को बंदनादि करना पड़े तो आगार।
- (५) **कृतिकांतार (आजीविका)** : आजीविका के लिये या किसी दिशा संकट से पार होने के लिए कुदेव, कुगुरु, कुर्धम को बंदनादि करना पड़े तो आगार।
- (६) **गुरुनिष्ठाह** : माता-पिता आदि गुरुजनों के लिए या किसी विषम संकट से पार होने के लिए कुदेव, कुगुरु, कुर्धम को बंदनादि करना पड़े तो आगार।

प्रतिज्ञा

उपर्युक्त सम्यक्त्व ब्रत को सम्यक प्रकार से समझने के बाद मैं कुदेव, कुगुरु, कुर्धम को मानने का त्याग करता हूँ/करती हूँ। आत्म कल्याण के लिए सुदेव, सुगुरु और सुर्धम को ही मानूंगा/मानूंगी। विशेष परिस्थिति में छः आगारों की छूट।

दिनांक भिती

२२ ब्रतों का परिचय एवं धारण प्रतिज्ञा

भगवान् महावीर ने धर्म दो प्रकार का बताया है :

- (१) **अणगार धर्म :** जिस धर्म के ब्रतों की पालना में किसी प्रकार की छूट नहीं रखी जाती, उसे अणगार धर्म कहते हैं। इस धर्म की पालना करने वाले जीवन पर्यात अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्माचर्य, अपरिग्रह रूप पंच महाब्रत एवं रात्रि भोजन त्याग, समिति-गुप्ति का पालन तीन करण (करना, करवाना, अनुमोदन) तीन योग (मन, वचन, काया) से करते हैं। इन्हें श्रमण, निर्झर्थ, मुनि, साधु आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है।
- (२) **आगार धर्म :** जिनके चारित्र मोह का क्षयोपशम प्रबल न होने से अणगार धर्म के प्रवेश में बाधा उत्पन्न होती है उनके लिए प्रभु महावीर ने आगार धर्म का कथन किया।

इस धर्म को धारण करने वाला अपने ब्रतों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा आंशिक छूट रख सकता है। इस धर्म में मुख्य रूप से पाँच अणब्रत, तीन गुणब्रत, चार शिक्षाब्रत रूप १२ ब्रत बताये गये हैं। इनमें से एक या एक से अधिक यावत् बारह ब्रत धारण करने वाले श्रावक-आविका कहलाते हैं।

श्रावक के बारह ब्रतों के नाम

१. स्थूल प्राणातिपात विरमण ब्रत ७. उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत
२. स्थूल मृषावाद विरमण ब्रत ८. अनर्थदण्ड विरमण ब्रत
३. स्थूल अदत्तादान विरमण ब्रत ९. सामायिक ब्रत

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ४. स्थूल मैथुन विरमण व्रत | १०. देशावकासिक व्रत |
| ५. स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत | ११. प्रतिपूर्ण पौष्टि व्रत |
| ६. दिशा परिमाण व्रत | १२. अतिथि संविभाग व्रत |

ये बारह व्रत आत्मोन्नति के सोपान हैं, इनको धारण करने वाले के सभी आश्रव (पाप) द्वारा सीमित हो जाते हैं। व्रत धारण करने वालों के पहाड़ से घटकर राई जितना पाप ही अवशिष्ट रहता है जिसका भी प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त, आलोचन, तप आदि द्वारा शुद्धिकरण हो जाता है।

१२ व्रत

पहला स्थूल ग्राणातिपात विरमण व्रत

इस प्रथम व्रत में श्रावक-श्राविका संकल्प पूर्वक कूरता से निरपराध त्रस जीवों की हिंसा का (आगार सहित) त्याग दो करण तीन योग से जीवन पर्यात के लिए करता है।

प्रथम अहिंसा व्रत के आगार

(जो आगार रखना चाहें (✓) उन्हें अंकित कर देवें।)

- (१) व्यापार उद्योग धन्यों से सम्बंधित आश्वजा त्रस स्थावर हिंसा का आगार।
- (२) अपराधी से रक्षा करने में, अपराधी को दण्ड देने में हिंसा होवे तो आगार।
- (३) धन, परिवार, धर्म, धर्मगुल, शील, सगे-संबंधी, देश, शरणागत की रक्षा करने के लिए कोई संकल्प पूर्वक हिंसा हो जावे तो आगार।

- (४) अनुकम्पा की बुद्धि से बढ़े जीवों की रक्षा करते, छोटे जीवों की हिंसा होवे तो आगार, जैसे-किसी पंचेन्द्रिय जीव के शरीर में कीड़े पढ़ गये हो और दवा लगानी पड़े तो छोटे बेहन्द्रिय जीवों की हिंसा होती है तो आगार।
- (५) स्वयं के शरीर के भीतर पीड़ाकारी या सगे संबंधी (मनुष्य-लिंग) के शरीर के भीतर पीड़ाकारी जीवों की हिंसा हो जावे तो आगार।
- (६) हितबुद्धि से अनुशासन के लिए किसी को डशाना, घमकाना, ताढ़ना, तर्जना, पीटना आदि पड़े और उसमें हिंसा हो जावे तो आगार।
- (७) विकित्सा की दृष्टि से अथवा व्यवहारिक दृष्टि से किसी प्राणी के अंगोपांग का छेदन-भेदन करना, करवाना पड़े तो आगार।
- (८) मार्ग में चलते, गाड़ी आदि हाँकते, खेती आदि का कार्य करते, घरेलू या व्यापारिक निर्माण कार्य में या अन्य कार्य में, नदी, कुर्झे आदि में उतस्ते, रसोई आदि के कार्यों में स्थावर के आक्रित यदि त्रस जीवों की विराधना होवे तो आगार।
- (९) स्वयं की, परिवार की या अनाज आदि की रक्षा के लिए कीट नाशक दवाइयों का, लक्षण रेखा आदि का उपयोग करना, करवाना पड़े तो आगार।
- (१०) और कोई आगार (रखना चाहें तो)
.....।

प्रथम व्रत के अतिचार

प्रथम व्रत में प्रमाद वश निम्न पांच अतिचार दोष लगने की संभावना रहती है, दोष लगने पर प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचनादि से शुद्धिकरण करना चाहिए।

- (१) बन्धे - किसी जीव को निर्दयता पूर्वक रोष वश ऐसे गाढ़ बन्धन से बांधना-बंधवाना जिससे उसे बहुत कष्ट हो।
- (२) बहे - निर्दयता पूर्वक रोष वश किसी प्राणी पर घातकारी प्रहार करना-करवाना जिससे उसे बहुत कष्ट हो, अंगोपांग में घाव हो।
- (३) छविच्छेष - निर्दयता पूर्वक रोष वश किसी प्राणी की त्वचा (थमड़ी), अंगोपांग का छेदन करना, करवाना।
- (४) अङ्गभारे - निर्दयता पूर्वक किसी प्राणी पर उसकी शक्ति से अधिक भार लादना अथवा परिश्रम करवाना। किसी भी प्राणी का मानसिक, वाचिक, शारीरिक शोषण करना, करवाना।
- (५) अत्तपाणविच्छेष - निर्दयता पूर्वक किसी भी प्राणी के आहार-पानी में अन्तराय (विघ्न) डालना, डलवाना अथवा द्वेष भावना से समय पर वेतनादि नहीं देना।

प्रथम व्रत धारण प्रतिका

आज से पहले जाने-अनजाने में अज्ञान, मोह, कषाय, प्रमाद के वशीभूत मुझे जितनी भी हिंसा का पाप लगा उसका मिच्छामि दुक्ठं। आज के बाद प्रथम प्राणातिपात अणुव्रत के अन्तर्गत क्रूरता की बुद्धि से निरपराध त्रस जीव बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय की

विराघना का आगार सहित मर्यादित क्षेत्र में जीवनपर्यन्त के लिए दो करण तीन योग (मन, वचन, काया से मैं स्वयं ऐसी हिंसा करूँगा नहीं, कराऊँगा नहीं) से आत्मा-परमात्मा, गुरुदेव व संघ की साक्षी से त्याग करता हूँ / करती हूँ तथा मर्यादित क्षेत्र के बाहर पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करता हूँ।

.....

प्रथम त्रृत पालन के सहायक नियम

(जो नियम धारण करना हो (✓) चिन्ह लगा देवें)

१. आत्महत्या करना नहीं, करवाना नहीं, अनुमोदन भी नहीं करना, मन, वचन, काया से।
२. गर्भपात करना नहीं, करवाना नहीं। (अपवाद को छोड़कर)
३. संकल्प पूर्वक द्वेष बुद्धि से विस्ती की आजीविका भंग नहीं करना, नहीं करवाना।
४. जानबूझकर मांसाहार युक्त भोज्य पदार्थ और प्रसाधन सामग्री उपयोग में लेना नहीं।
५. ऋस जीवों की हिंसा की सलाह नहीं देना।
६. बिना छाना पानी नहीं पीना / काम में नहीं लेना।
७. शाकाहारी-मांसाहारी सम्मिलित होटल में खाना पीना नहीं।
८.
९.

दूसरा रथूल भृष्णावाद विरभण ब्रत

सत्य ब्रत : इस ब्रत की पालना के अन्तर्गत आवकजी मोटा (बड़ा) झूठ बोले नहीं, बोलावें नहीं, मन से वचन से काया से। आवक ऐसे मोटे झूठ का त्याग करता है जिससे लोक में निंदा हो, पंचों में अप्रतीति हो, कुल-जाति-धर्म कलंकित हो, राज से दण्ड मिले आदि। ये मोटा झूठ सामने वाले को मरण तुल्य कष्ट पहुँचाता है। ऐसे मोटे झूठ मुख्यतः पाँच प्रकार के बताये गये हैं।

१. **कण्ठालिए :** कन्या या वर की उप्र, गुण, अवगुण इत्यादि के संबंध में दूसरों को धोखा देने की बुद्धि से झूठ बोलना अथवा दूसरे की कन्या/वर के संबंध में झूठी अफवाह उड़ाना इत्यादि।
२. **गोवालिए :** गाय, भैंस आदि पशुओं के गुण, अवगुण के संबंध में झूठ बोलना।
३. **ओमालिए :** दूसरों के ठगने के लिए भूमि संबंधी झूठ बोलना।
४. **णासावहारो :** किसी की घरोहर के संबंध में झूठ बोलना, घरोहर दबा लेना।
५. **चूलसविख्याजो :** जाति, धर्म को कलंक लगे या देश, समाज, संघ में अशान्ति फैले, निरपराधी को सजा मिले ऐसी झूठी गवाही देना।

दूसरे ब्रत में आगार

(जो आगार रखना हो (✓) चिन्ह लगा देवें)

१. व्यापार संबंधी कोर्ट कानून, सरकार संबंधी नियम पालन न होवें

और मोटा झूठ बोलना पढ़े तो आगार।

२. किसी प्राणी की जीवरक्षा के लिए मोटा झूठ बोला जाये तो आगार।
३. मूर्च्छा, परवशता या रुग्णता में झूठ बोला जाये तो आगार।
४. किसी दुह या छूर व्यक्ति विशेष को शिक्षा दिलाने के लिए झूठ बोलना पढ़े तो आगार।
५. आयकर, बिक्रीकर, हाउसकर या अन्य कोई कर (टेक्स) के संबंध में झूठा लेख लिखना पढ़े या झूठी गवाही देनी पढ़े, दिलानी पढ़े तो आगार।
६. स्वयं के परिवार की कन्या/वर के गुण-अवगुण के संबंध में कुछ झूठ बोलना पढ़े तो आगार।
७. अन्य कोई आगार

दूसरे ब्रत के अतिवार

दूसरा ब्रत धारण करने के बाद सावधानी न रखने से प्रमाद वश निम्न पाँच अतिवारों के द्वारा ब्रत में दोष लगने की संभावना रहती है। दोष लगने पर तत्काल या पार्किंग, घौमासिक अथवा सांवत्सरिक प्रतिक्रिया आदि करके शुद्धिकरण करना चाहिए।

१. सहस्रद्वयरक्षाणो : क्रोध, लोभ, भय, हास्य के वशीभूत बिना विचारे किसी को आघात पहुँचे, ऐसा झूठ बोलना।
२. रहस्यद्वयरक्षाणो : एकान्त में गुप्त बात करते हुए व्यक्तियों पर झूठा आरोप लगाना अथवा गुप्त बात को छिपकर सुनना,

किसी की गुप्त बात को प्रकट करना।

३. **सदाचारमंतभेष/स-अचार मंतभेष** : स्वयं के स्त्री/पुरुष सम्बंधी मर्म प्रकट करना।
४. **मोसोवएस्ये** : किसी को जानबूझकर झूठा (मृषा) उपदेश देना, गलत सलाह देना आदि।
५. **यूठलेहकरणे** : झूठा लेख, पत्र, ऐम्प्लेट आदि लिखना, लिखाना।

दूसरा व्रत धारण प्रतिक्षा

आज से पहले मेरे द्वारा जाने-अनजाने में किसी भी प्रकार का मोटा झूठ बोला गया हो, बोलाया गया हो तो तस्स मिछामि दुःखङ्।

अब मैं जीवन पर्यात तक उपर्युक्त आगारों को छोड़कर दो करण तीन योग से मोटा झूठ बोलूँगा नहीं, बुलवाऊँगा नहीं, मन, वचन, काया से तथा मर्यादित क्षेत्र के बाहर सम्पूर्ण मोटा झूठ का त्याग करता हूँ/करती हूँ।

ह

दूसरे व्रत पालन के राहायक विवेक

१. जिस बात के बोलने से कलह हो, विरोध बढ़े, किसी को नुकसान हो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए।
२. बिना विशेष कारण कटुवचन नहीं बोलना चाहिए।

३. निम्न कारणों से झूठ बोला जाता है -
 १) कथाय २) मोह भाव ३) हास्य ४) रति ५) अरति ६) भय ७) शोक ८) घृणा ९) इर्ष्या १०) निन्दा ११) बाचालता १२) लज्जा १३) क्रीड़ा १४) पैशुन्य १५) विकथा इत्यादि।
 अतः उक्त तथ्यों से बचना चाहिये, विवेक रखना चाहिये।
४. आत्म कल्याण का चिन्तन करते हुए दोष रहित भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

तीरसदा रथ्युल अदत्तादान विरमण व्रत

आचौर्य व्रत : इस व्रत में आदकजी मोटी चोरी करने, करवाने का स्थाग मन बचन काया से करते हैं। इसके निम्न पाँच भेद होते हैं -

१. **खात खानकर्त :** घर, मकानादि स्थानों में सेंध लगाकर चोरी की नियत से कोई वस्तु लेना।
२. **गाँठ खोलकर :** गाँठ खोलकर, बक्सा खोलकर, जेब काटकर, पॉकेट में से निकाल कर, बैग आदि से निकाल कर चोरी की नियत से कोई वस्तु लेना।
३. **ताले पर कुंधी लगाकर्त :** नकली या असली चाबियों से ताले खोलकर, दरवाजे आदि तोड़कर चोरी की नियत से कोई वस्तु लेना।
४. **मार्ग में चलते हुए को लूट कर्त :** मार्ग में लूटकर या मकान आदि स्थानों पर भय से, घोरे से, बह्यन्त्र से लूटना।
५. **स्वानित्व वाली वस्तु व्रहण :** दूसरों की पढ़ी हुई कोई भी

बहुमूल्य वस्तु को अपनी बताकर लेना। वस्तु के मालिक का पता होते हुए
भी उस वस्तु को चोरी की नियत से रख लेना।

तीसरे भ्रष्ट में आगार

(जो आगार रखना हो () चिन्ह लगा देवें)

१. **स्वामी संबंधी :** अपने रिश्तेदार मित्रजन अथवा परिवित या विश्वास रखने वाला किसी भी व्यक्ति को पूर्व सूचना के बिना उसके घर से, दूकान से या अन्य स्थान से विशेष कारण होने पर उसका कोई वस्त्र आदि लेना पड़े तो आगार, लेकिन उसकी सूचना तत्काल दूरा ऐसी भावना रखना।
२. **व्यापार संबंधी :** व्यापार अथवा सरकार संबंधी कोई कर (टेक्स) आदि अपरिहार्य कारण से पूर्ण रूप से नहीं चुकाया जाये तो आगार।
३. कोई वस्तु जिसका मूल्य तो अधिक हो लेकिन अति अल्प मूल्य में मिल रही हो और जिसको व्यवहार में चोरी नहीं मानी जाती हो, ऐसी वस्तु लेने का आगार।
४. कोई वस्तु मार्ग में या किसी स्थान पर पढ़ी हुई मिल जाए तो उसके स्वामी का पता लगाने की भावना रखना और यदि स्वामी का पता नहीं लगे तो ऐसी वस्तु लेने का आगार।
५. बिना स्वामी का अथवा स्वयं के ही पूर्वजों का गुप्त धन अगर मिल जाये तो टेक्स चुकाये बिना लेने का आगार।
६. ऐसा धन मिले तो सरकार को टेक्स चुकाने के बाद लेने का आगार।

७. ऐसा धन मिले तो सरकार को टेक्स चुकाने के बाद भी कुछ प्रतिशत धर्मार्थ में लगाने के बाद लेने का आगार।

तीसरे व्रत के अतिथार

तीसरे व्रत में प्रमाद या मजबूरी से निम्न पांच अतिथार दोष लगाने की संभावना रहती है।

१. **तोनाहडे** – लोभ के वशीभूत जानते हुए भी चोर की चुराई वस्तु को खरीदना अथवा लेना।
२. **राक्षरप्पओंगे** – जानबूझकर चोर को चोरी करने में सहायता प्रदान करना।
३. **विरुद्धराजाङ्गमने** – राज आज्ञा अथवा कानून के विपरीत कोई कार्य करना, जिससे स्वयं की जाति, कुल, धर्म आदि लज्जित होवे या राज दंड का भागी बनना पड़े।
४. **कूड़तुल्कूड़माणे** – झूठा माप तोल करना।
५. **तप्पडिरूवगववहारे** – वस्तु में भेल संभेल करना अथवा असली वस्तु दिखाकर नकली दे देना। असली के नाम पर नकली देना, बहुमूल्य वस्तु दिखाकर अल्प मूल्य वाली वस्तु देना इत्यादि।

तीसरा व्रत धारण प्रतिज्ञा

आज से पहले किसी भी प्रकार की मोटी चोरी का दोष लगा हो तो तरस्स मिछामि दुक्कड़। आज के बाद जीवन पर्यत उपर्युक्त आगारों को छोड़कर दो करण तीन योग से मोटी चोरी करना नहीं, करवाना नहीं मन

से वचन से काया से तथा मर्यादित क्षेत्र के बाहर सभी प्रकार की चोरी का
पूर्ण रूप से त्याग करता हैं/ करती हैं।

ह
.....

तीसरे व्रत के सहायक नियम

(जो भी धारण करना हो () चिन्ह लगा देवें)

१. मैं नकली वस्तु को असली कहकर नहीं दूंगा, नहीं बेचूंगा।
२. बिना टिकट रेल, बस आदि की यात्रा नहीं करूँगा।
३. मैं खोटा माप-तोल नहीं करूँगा। बिजली-पानी की चोरी नहीं करूँगा।
४. (अन्य कोई भी स्वेच्छा से)

चौथा रथ्यूल मैथुन विरमण व्रत

इस चौथे व्रत में आवक-आविका पर-स्त्री/पर-पुरुष सेवन का
त्याग करते हैं तथा स्व-स्त्री/स्व-पुरुष की मर्यादा करते हैं। यह त्याग
देव-देवी संबंधी दो करण तीन योग से तथा मनुष्य तिर्यच संबंधी एक
करण एक योग से होता है।

चौथे व्रत में आगार

१. लाचारी, परवश अथवा मूर्छित अवस्था में कुशील का दोष लगे
तो प्रायशिष्ठ लेकर शुद्धिकरण करना।
२. शुक्राणु बैंक से उपचार करवाना पड़े तो आगार।

चौथे ब्रत के अतिचार

१. **इतरियपरिभगहियागमणो :** अल्प समय के लिए आश्रित, अल्प समय के लिए विवाहित अथवा अल्प वय वाली स्व-स्त्री के साथ काम भोग संबंधी आलाप-संलाप करना अथवा कुशील सेवन करना।
२. **अपरिभगहियागमणो :** वैश्या, अनाथ, कन्या, विश्वा, कुलदधु आदि अपरिश्रहिता कहलाती हैं, उनके साथ कामभोग सेवन करना अथवा जिसके साथ अभी तक विवाह नहीं हुआ है केवल सगाई हुई है उसके साथ काम भोग सेवन करना।
३. **अनंगकीड़ा :** नाम कर्म के उदय से जो काम भोग के प्राकृतिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं उनके अतिरिक्त अन्य अंगों से भी काम कीड़ा करना।
४. **परिविवाहकरणो :** अपने परिवार के अतिरिक्त अन्य का विषाह रिश्ता करवाना।
५. **कामभोगातिव्याभिलास्ये :** काम भोग की तीव्र अभिलाषा करना, अश्लील दृश्य देखना, अश्लील साहित्य पढ़ना, अश्लील कथा वार्ता करना, अश्लील फिल्में देखना इत्यादि।
उक्त अतिचारों में से कोई भी अतिचार दोष लगे तो प्रतिक्रमण, प्रायश्चित द्वारा शुद्धिकरण करना।

चौथा ब्रत धारण प्रतिज्ञा

आज से पहले मुझे किसी भी प्रकार से मर्यादा के उपशान्त कुशील सेवन का पाप दोष लगा हो तो तरस मिछामि दुःखं।

आज के बाद मैं पंचों की साक्षी से विवाह स्व-स्त्री/स्व-पुरुष के अतिरिक्त अवशेष समग्र मैथुन का जीवन पर्यन्त देव-देवी संबंधी दो करण तीन योग से (करना नहीं, करवाना नहीं, मन-वचन-काया से) तथा मनुष्य तिर्यक संबंधी एक करण एक योग से (करना नहीं, काया से) त्याग करता हूँ / करती हूँ। मर्यादित क्षेत्र के बाहर सम्पूर्ण कुशील सेवन का त्याग।

स्व-स्त्री/स्व-पुरुष के लिए भी महीने में दिन का आगार शेष कुशील का त्याग।

ह

चौथे त्रय के खाहायक नियम

(जो भी धारण करना हो () चिन्ह लगा देवें)

१. पर्युषण पर्व में कुशील सेवन का त्याग।
२. पर्व तिथियों में कुशील सेवन का त्याग।
(२, ५, ८, ११, १४, अमावस्या तथा पूर्णिमा)
३. मैं दिन में अप्राकृतिक कुशील सेवन नहीं करूँगा।
४. दुराधारी व्यक्तियों की संगत नहीं करूँगा।
५. अपने तथा अपने सगे संबंधी, परिवारजन, आश्रितजन या अनुकम्पा से किसी की सगाई-विवाह करवाना पड़े तो आगार, शेष का त्याग।
६. मैं शादी विवाह आदि प्रसंगों पर या अन्य प्रसंगों पर देश्या आदि का नृत्य अथवा आकेस्ट्रा पार्टी में लड़के-लड़कियों का नृत्य

आदि नहीं कराऊँगा।

७. अश्लील दृश्य देखना, साहित्य पढ़ना, कथा विकथा करना आदि का त्याग।
८. पर-पुरुष/पर-स्त्री के साथ विशेष कारण के बिना एकान्त में नहीं जाना।
९. विकारजन्य चित्रों को अपने घर दुकान आदि में नहीं लगाना।
१०. नौकर, नौकरानी आदि के साथ मर्यादा के उपरान्त व्यवहार नहीं करना।
११. अन्य स्वेच्छा से

पौँचवां स्थूल परिग्राह परिवाण व्रत

इस व्रत में श्रावक-श्राविका समत्व कम करने के लिए आवश्यकता से अधिक अपना करके परिग्राह न रखने का संकल्प करते हैं जिसमें मुख्य रूप से नव प्रकार के परिग्राह की मर्यादा करते हैं। वर्तमान में याहे उनके पास में धन कम भी क्यों न हो पर भविष्य में मर्यादा के उपरान्त होने पर उस धन का दान कर देते हैं।

स्वयं के स्वाभित्य सम्बन्धी मर्यादा

१. खोत : खेत, खुली जमीन ।
 - (अ) कृषि फार्म बाग बगीचे आदि एकड़ के उपरान्त त्याग।
 - (आ) खुले प्लाट के उपरान्त त्याग।

- (इ) कुर्हे, बावड़ी, तालाब आदि के उपरान्त त्याग।
२. **बारत्तु :** मकान, बंगले, कारखाने, दुकानें, कॉम्प्लेक्स आदि।
 (अ) मकान बंगले के उपरान्त त्याग।
 (आ) दुकान फैक्ट्री आदि के उपरान्त त्याग।
३. **हिरण्य :** चाँदी, चाँदी की बनी हुई वस्तुएँ।
 चाँदी की वस्तुएँ अथवा चाँदी किलोग्राम के उपरान्त का त्याग।
४. **सुवर्ण :** सोने के गहने अथवा सोना (स्वर्ण)
 स्वयं के स्वामित्व में किलो से अधिक स्वर्ण नहीं रखना, इसके उपरान्त का त्याग।
५. **शब्द :** शोकङ्ग पूजी लाख/करोड़ उपरान्त त्याग।
 नग नगीने केरेट उपरान्त त्याग।
 शोकङ्ग पूजी का मूल्यांकन सोने (स्वर्ण) के भाव से माना जायेगा (ब्रत धारण के समय स्वर्ण का भाव)
६. **थान्य :** २४ प्रकार के धान्य में से मात्र प्रकार का धान्य काम में लेने का आगार तथा एक साथ में किंटल के उपरान्त संग्रह करने का त्याग। शादी विवाह, पार्टी, न्यात आदि का आगार।
७. **द्विपद :** तोता, कबूतर आदि द्विपद पक्षी के उपरान्त रखने का त्याग। वर्तमान में रहने वाले नौकर परिवाह में नहीं आते।

६. चतुष्पद : गाय, खेंस, कुत्ता आदि चौपाये पशु के उपरान्त रखने का त्याग। अनुकंपा की बुद्धि से द्विपद, चतुष्पद रखना पड़े तो आगार।
७. दुष्पद : (सोना चाँदी के सिवाय अन्य धातु) पीतल, तांबा, लोहा, स्टील, एल्युमीनियम आदि अनेक प्रकार के धातु स्वयं के स्वामित्व वाले मकान में फर्नीचर, फ्रिज, ऐ.सी.आदि लाख/करोड़ से अधिक मूल्य का संग्रह करने का त्याग।

व्यापार सम्बन्धी मर्यादा

उपरोक्त मर्यादा करने के उपरान्त नव ही प्रकार के परिग्रह के संबंध में कोई व्यापार करना पड़े या अन्य कोई व्यापार आदि करना पड़े तो करोड़/अरब से अधिक व्यापार धन्दा नहीं करना।

पाँचवें द्रव्य के आगार

(जो आगार रखना चाहें () चिन्ह लगा देवें)

१. किसी भी सामाजिक/धार्मिक आदि ट्रस्ट में ट्रस्टी बनना पड़े अथवा द्रव्य आदि की व्यवस्था, सुरक्षा करनी पड़े तो आगार।
२. मिल, कारखानों, सरकारी संस्थाओं, सभी प्रकार की कम्पनियों, उद्योग धन्दों आदि के शेयर आदि खरीदने पड़े तो आगार।
३. गुप्त धन या आकस्मिक धन (उपहार, वसीयत, लाटरी आदि) प्राप्त हो जावे तो आगार।
४. (अन्य अपनी स्वेच्छा से)

पाँचवें व्रत के अतिचार

१. खोटवट्युप्पमाणाङ्कने : खेत-वस्तु (मकान) आदि की मर्यादा का उल्लंघन करना।
२. हिरण्ण-सुवण्णप्पमाणाङ्कने : सोना-चाँदी की मर्यादा का उल्लंघन करना।
३. धणधारणप्पमाणाङ्कने : धन-धान्य की मर्यादा का उल्लंघन करना।
४. दुष्य-चउप्हयप्पमाणाङ्कने : दुपद-चौपद की मर्यादा का उल्लंघन करना।
५. गुरुवियाप्पमाणाङ्कने : अन्य धातु एवं अन्य सभी परिग्रह की मर्यादा का उल्लंघन करना।

आपरिग्रह व्रत की हितकारी शिक्षाएँ

१. हिंसक-हूर आदि व्यक्तियों को धन्ये के लिए रूपए उधार नहीं देना।
२. धर्मार्थ निकाला हुआ धन घर में नहीं रखना चाहिये। धर्मार्थ कुछ प्रतिशत निश्चित करना।
३. धन-ऐश्वर्य, लाभ आदि का अभिमान नहीं करना चाहिये।
४. दूसरे की धन संपत्ति बैंधव आदि को देखकर इर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
५. परिग्रह की मर्यादा जितना धन हो जाये तो व्यापार-धन्ये से निवृत्त होना।

६. परिग्रह की मर्यादा के उपरान्त धन हो जाये तो धर्मदान, अनुकम्पा दान में धन का सदुपयोग करना।
७. अनुकम्पा आदि दान में धन खर्च करना पड़े तो धर्म समझकर नहीं करना, पुण्य समझकर ही करना।

पाँचवा त्रटा थारण प्रतिज्ञा

आज से पहले मैंने किसी भी प्रकार की परिग्रह की मर्यादा का उल्लंघन किया हो तो तस्स मिछामि दुक्कड़।

उपर्युक्त नौ प्रकार के परिग्रह की मैंने जितनी मर्यादा रखी है उसके उपरान्त समस्त आगारों सहित शेष परिग्रह का एक कारण तीन योग से त्याग करता हूँ/करती हूँ तथा मर्यादित क्षेत्र के बाहर सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग।

ह
.....

छठा दिशा परिमाण त्रटा

इस त्रट में श्रावक-श्राविका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊंची, नीची छहों दिशाओं की मर्यादा का परिमाण करता है। ये मर्यादा अहिंसा, अपरिग्रह आदि सभी त्रतों की पालना में सहायक होती है।

छठे त्रट में आगार (इस त्रट में ५ नवकार से निम्न आगार हैं)

(जो आगार रखना चाहें () चिन्ह लगा देवें)

१. विमारी आदि के कारण से मर्यादा के बाहर जाना पड़े तो आगार।
२. प्राण रक्षा अथवा देवी-देवताओं के प्रकोप से मर्यादा का उल्लंघन करना पड़े तो आगार।

३. मर्यादित क्षेत्र के बाहर से टेलीफोन, तार, फेक्स आदि मंगाना पढ़े या भेजना पढ़े तो आगार।
४. मर्यादित क्षेत्र के बाहर सगे-संबंधी से मिलने के लिए जाना पढ़े तो वर्ष में बार का आगार।
५. मर्यादित क्षेत्र से बाहर राज आदेश से अथवा स्वामी (मालिक) के आदेश से अथवा चूमने के लिए जाना पढ़े तो वर्ष में बार का आगार।
६. वायुयान से यात्रा करते समय मर्यादित क्षेत्र का उल्लंघन हो जावे तो आगार।
७. वैज्ञानिक खोज के अंतर्गत मर्यादित क्षेत्र का उल्लंघन करना पढ़े तो आगार।
८. धर्म प्रचार के लिए मर्यादित क्षेत्र का उल्लंघन करना पढ़े तो आगार।
९. ऊँची-नीची-तिरछी दिशा में पर्यटन की दृष्टि से मर्यादा का उल्लंघन हो जावे तो आगार।
१०. व्यापार, नौकरी आदि के निमित्त अथवा परिवार के साथ रहने के निमित्त मर्यादित क्षेत्र के बाहर स्थायी रहना पढ़े तो आगार।

छठे व्रत के अतिचार

१. उद्धदिसिपन्नाणाङ्कम्भै : ऊँची दिशा में परिमाण से आगे जाना।
२. अहोदिसिपन्नाणाङ्कम्भै : नीची दिशा में परिमाण से आगे उल्लंघन करना।

३. तिरियदिसिपम्नाणाङ्कम्भे : चारों दिशाओं में एवं विदिशाओं में मर्यादा का उल्लंघन करना।
४. स्थितकुञ्जी : एक दिशा के परिमाण को घटाकर अन्य किसी दिशा में जोड़कर मर्यादा का उल्लंघन करना।
५. राङ्गावल्तरद्वा : परिमाण का संदेह होने पर अथवा पंथ का संदेह होने पर मर्यादा का उल्लंघन करना।

छाड़ा ब्रत धारण प्रतिज्ञा

मैं अपने निवास स्थान से संपूर्ण लोक की छः दिशाओं में निम्न प्रकार से मर्यादा करता हूँ। उसके उपरांत आगार को छोड़कर छहों दिशाओं में जाने का तथा पांच आश्रव सेवन करने का एक करण तीन योग से त्याग करता हूँ।

मर्यादा – ऊँची दिशा कि.मी.

नीची दिशा कि.मी.

पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और विदिशा में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक या जितनी मर्यादा रखनी हो कि.मी. तक।

सभी आगारों में भी देवगत और सेटेलाइट को छोड़कर चारों दिशाओं में ४०,००० कि.मी. के उपरान्त सम्पूर्ण त्याग करता हूँ/करती हूँ।

ह
.....

सातवां उपभोग - परिभोग परिवाण व्रत

इस व्रत में आवक-आविका जीवन पर्यन्त तक एक कश्ण, तीन योग से निम्न छब्बीस बोलों की मर्यादा करते हैं तथा पन्द्रह कर्मदान का त्याग करते हैं।

क्र.सं	छब्बीस बोल	मर्यादा
१	उल्लिखियाविहि - शरीर पौँछने के अंगोंचे, टॉवल, रुमाल आदि की मर्यादा करना। चोरी हो जाय, गुम जाय अथवा दान दे देवें तो उतने ही नये खरीदने का आगार। होटल, अस्पताल आदि में उपभोग का आगार।	निम्न से अधिक एक साथ संग्रह का त्याग करता है। १) अंगोंचे २) टॉवल ३) रुमाल
२	दंतणविहि - दांतों के साफ करने के दातौन की मर्यादा करना। Non Veg. मंजन का पूर्णतया त्याग करता है।	मैं प्रकार के अतिरिक्त मंजन प्रयोग में नहीं लूँगा। नाम :
३	फलविहि - नहाने, धोने के फल, साबुन आदि की मर्यादा। बाहर का आगार।	मैं प्रकार से ज्यादा नहाने धोने के फल, साबुन आदि काम में नहीं लूँगा।
४	अध्यागणविहि - सिर में लगाने या शारीरिक सुख के निमित्त तेल आदि की मर्यादा।	मैं प्रकार से ज्यादा तेल शरीर सुख के निमित्त काम में नहीं लूँगा।

क्र.सं	छव्वीस बोल	मर्यादा
५	उबहुणविहि - पीठी, मिट्ठी लेप, आदि की मर्यादा।	में प्रकार से अतिरिक्त सभी प्रकार के उबटन का त्याग करता हूँ।
६	मज्जणविहि - स्नान करने के पानी की मर्यादा करना। रात्रि में स्नान नहीं करना।	प्रतिदिन स्नान के लिए लीटर पानी के उपरान्त त्याग 1) महीने में बार से अधिक टब में नहाने का त्याग 2) वर्ष में बार से अधिक नदी, तालाब, समुद्र आदि में नहाने का त्याग।
७	वत्थविहि - स्वयं के काम में आने वाले वस्त्रों को संग्रह करने का परिमाण करना।	एक वर्ष में एक साथ से अधिक जोड़ी वस्त्र संग्रह करने का त्याग। उपहार में मिले तो आगार, अन्य वस्त्रों की मर्यादा १४ नियम के अनुसार
८	विलेवणविहि - सुगंधित पदार्थों का शरीर पर विलेपन करने की मर्यादा करना।	चंदन, केसर, हश, झीम, लिपस्टिक इत्यादि। प्रतिदिन प्रकार बार से ज्यादा का त्याग।
९	पुष्कविहि - सचित्त फूल, मालाओं का परिमाण करना। प्रकार के उपरान्त सचित्त फूल, मालाओं का त्याग।
१०	आभरणविहि - शरीर के उपर आभूषणों को धारण करने की मर्यादा करना।	एक दिन में प्रकार के उपरान्त गहने धारण करने का त्याग।

क्र.सं	छव्वीस बोल	मर्यादा
११	धूबिहि - लोबान, अगरबती आदि का धूप	एक दिन में प्रकार से ज्यादा धूप काम में नहीं लेना।
१२	पेझविहि - पेय पदार्थ (पानी को छोड़कर)	एक दिन में प्रकार का लीटर के उपरांत का त्याग।
१३	भक्खणविहि - मिठाई आदि	एक दिन में प्रकार की ग्राम से ज्यादा का त्याग।
१४	ओदणविहि - रेदेज (चावल, चिंचडी, घाट) आदि	एक दिन में प्रकार ग्राम के उपरांत का त्याग।
१५	सूपविहि - सभी प्रकार की दाल, सूप आदि	एक दिन में प्रकार ग्राम के उपरांत का त्याग।
१६	विशयविहि - दूध, दही, धी, तेल, मिठाई विशय में आते हैं। शहद, मक्खन का त्याग या प्रतिदिन ग्राम के उपरांत का त्याग।	प्रतिदिन दूध लीटर, दही लीटर, धी ग्राम तेल ग्राम, मिठाई ग्राम के उपरांत त्याग।
१७	सागविहि - सभी हरी सब्जियों की मर्यादा। (परिशिष्ट में नाम देखें)	कुल प्रकार की हरी सब्जियों के उपरांत त्याग।
१८	महुरविहि - फलों की मर्यादा करना (परिशिष्ट में नाम देखें)	कुल प्रकार के खाने योग्य फलों के उपरांत त्याग। प्रतिदिन प्रकार के ड्राई फ्रूट्स से ज्यादा का त्याग।

क्र.सं	छन्दोंस बोल	मर्यादा
१९	जीमणविहि - भोजन पदार्थ	एक दिन में भोजन किलो के उपरांत का त्याग। एक दिन में..... बाष से अधिक सभी प्रकार के भोजन, पेय पदार्थ (पानी को छोड़कर) सेवन करने का त्याग।
२०	पाणियाविहि - पीने के लिए पानी।	प्रतिदिन.....लीटर से अधिक का त्याग एक दिन में प्रकार से ज्यादा का त्याग।
२१	मुखबासविहि - मुख शोधक पदार्थ जैसे सुपारी, लौंग, इलायची, चूर्ण, सौंफ, पान आदि।	प्रतिदिन प्रकार..... आम से ज्यादा का त्याग। जर्दा, गुटखा का पूर्ण त्याग।
२२	वाहणविहि - वाहनों की मर्यादा जैसे मोटर, जीप, बस, साइकल, स्कूटर।	स्वयं के स्वामित्व वाले १) घरेलू कार्य हेतु प्रकार के वाहनों से ज्यादा संग्रह करने का त्याग। २) व्यापार निमित्त प्रकार के वाहन उपरान्त त्याग।
२३	उवाणहविहि - चरण पादुका	एक साथ जोड़ी से ज्यादा जूते, चप्पल, बूट आदि का संग्रह करने का त्याग। लोदर आदि अति हिंसाजन्य जूते, बैंग, पर्स आदि का पूर्ण रूप से त्याग।

क्र.सं	छब्बीस बोल	मर्यादा
२४	सयणविहि - स्वयं के उपयोग के लिए	में प्रकार की शब्दों से अधिक का संग्रह करने का त्याग करता हूँ।
२५	समित्तविहि - बीज सहित फल, कढ़ी सब्जियाँ, नमक आदि।	प्रतिदिन के उपरांत समित्त पदार्थों का त्याग।
२६	द्रव्यविहि - द्रव्य।	प्रतिदिन द्रव्यों के

सातवें ज्ञात में आगार

- विमारी, लोकाचार अथवा अनुकम्पा की बुद्धि से तालाब आदि में उत्तरना पड़े तो आगार। कोई जबरदस्ती पानी में डाले तो आगार।
- उपरोक्त छब्बीस बोलों में विकित्सा संबंधी आगार।

सातवां ज्ञात धारण प्रतिक्षा

उपरोक्त छब्बीस बोलों की मर्यादा के उपरांत शेष सभी वस्तुओं का जीवन पर्यात तक के लिए एक करण, तीन योग से त्याग तथा मर्यादित क्षेत्र के बाहर सम्पूर्ण त्याग।

ह
.....

पंद्रह कर्मादान

(जिसका त्याग करना हो () चिन्ह लगा देवें)

१. **डुंगालकर्मोः** : बिजली आदि अग्नि कर्म से संबंधित चूना, ईट, कोयला, कांच आदि निर्माण करने का कर्म।
२. **वणकर्मोः** : जंगल का ठेका लेकर वृक्ष, घास आदि काटने का कर्म करना।
३. **साडीकर्मोः** : गाढ़ी, मोटर, इका, तांगा आदि वाहन बनाने का कार्य कर आजीविका चलाना।
४. **आडीकर्मोः** : भाड़ा कमाने के लिए ऊंट, बैल, घोड़ा आदि ऋत जीवों के ऊपर भार लादना तथा बैल, बस, लौरी, मकान आदि आजीविका के लिए किशाये पर देना।
५. **फोडीकर्मोः** : पत्थर, कोयला आदि की खान तथा कुंआ, बावड़ी आदि खोदने का कार्य करना।
६. **दंतवाणिज्ञोः** : हाथी दांत, सींग, नख, चर्म आदि का व्यवसाय करना।
७. **लक्खवाणिज्ञोः** : लाख, देशी मोम आदि का हिंसा जन्य व्यापार करना।
८. **सखवाणिज्ञोः** : निकृष्ट रस जैसे मद्य, चर्बी, मक्खन आदि का व्यवसाय करना। तम्बाकू आदि नशीले पदार्थों का अथवा बनस्पतियों के अर्क निकालने का व्यवसाय करना।
९. **विसवाणिज्ञोः** : विष जैसे संखिया, अफीम, कीटनाशक

दवाहयों आदि पदार्थों का व्यापार करना।

१०. **केन्सवाणिज्यो :** केश वाले प्राणी अर्थात् दास, दासी, पशु, पक्षियों के क्रय-विक्रय का व्यवसाय करना। केश, पंख, पूँछ आदि के बाल जो हिंसक तरीके से निकाले हो, उनसे बनी सामग्री का व्यापार करना।
११. **जांतपीलणकर्म्मो :** तिल, सरसों, ईख आदि का तेल या रस निकालने का धन्या करना अथवा चक्की चरखे आदि का व्यवसाय करना अथवा महारम्भी यंत्र कर्लों से आजीविका चलाना।
१२. **गिर्हुङ्छणकर्म्मो :** नपुंसक बनाने का कार्य करके अपनी आजीविका चलाना।
१३. **दद्यन्निगदावण्याः :** खेत या भूमि साफ करने के लिए जंगलों में आग लगाने का ठेका लेना।
१४. **स्वरद्धहतलायसोसण्याः :** झील, नदी, तालाब आदि को सुखाना।
१५. **असर्वजणपोसण्याः :** स्वार्थ के लिए कुत्ता, बिल्ली आदि पालना या असंयती जन जो हिंसक हैं माँस भक्षी हैं, दुराचारी हैं उनका पोषण करना।

सातवें द्रष्टव्य के अतिथार

सातवें द्रष्टव्य में भोजन से संबंधित मुख्य पाँच अतिथार घताए गए हैं। इन अतिथारों में से किसी भी अतिथार का दोष लगे तो प्रतिक्रियण करके शुद्धिकरण करना चाहिए।

- स्वचित्ताहारे :** सचित्त पदार्थों का आहार करना अथवा मर्यादा से अधिक सचित् वस्तु का भोग करना।
- स्वचित् पड़िबद्धाहारे :** सचित् के आश्रित अचित् का भोग करना (सचित् दोन्हा या पत्तल में खाना)
- अप्पउलि ओसाहि भयखाणया :** अधूरे पके हों ऐसे फलों को खाने से यह अतिथार लगता है।
- दुप्पउलि ओसाहि भयखाणया :** अधिक पके (सडे-गले) फलों को खाने से यह अतिथार लगता है। घृणित तरीके से पकाये जाने वाले फलों को खाने से भी यह अतिथार लगता है।
- तुच्छोसाहि भयखाणया :** तुच्छ वस्तुओं का आहार करना अर्थात् जिसमें प्रोटीन, विटामिन, केल्सीयम आदि कम हो जैसे जंगफुड, फास्ट फुड आदि। ऐसा आहार जो शरीर के लिए गुणकारी कम हो उसको खाना।

सातवें व्रत के सहायक नियम

(जिसका पालन करना हो () चिन्ह लगा देवें)

- धर्म व इज्ञत को ठेस पहुँचे ऐसा व्यापार करना नहीं।
- परिमाण से अधिक भोजन नहीं करना। बार-बार भोजन नहीं करना। शरीर की प्रकृति से विपरीत भोजन नहीं करना।
- विजातीय पदार्थों का सेवन करना नहीं।
- भोजन सामग्री (कच्ची पक्की) की गवेषणा करके उपयोग में लेना।

अनजान पदार्थों जिसका नाम, स्वभाव आदि नहीं जानते हैं उपयोग में नहीं लेना।

५. याक्रा करते समय अपरिचित व्यक्ति से कोई भी भोज्य सामग्री भित्रता के नाते लेनी नहीं।
६. कर्मादान से संबंधित किसी भी व्यवसाय के लिए दूसरों को प्रेरणा देना नहीं।
७. हिंसक (पंथेन्द्रिय वध करने वाले) व्यक्तियों को व्यापार के निमित्त रूपये उधार देना नहीं अथवा सहयोग देना नहीं। (अनुकम्पा की मुद्दि से देने की मनाई नहीं है।)

आठवाँ व्रत अनर्थदण्ड

दंड दो प्रकार के हैं – अर्थ-दंड (सप्रयोजन पाप) एवं अनर्थ-दंड (निष्प्रयोजन पाप)। इस व्रत में श्रावक-श्राविका दिना प्रयोजन किये जाने वाले पाप का त्याग करता है तथा प्रयोजन से होने वाले पाप में विवेक जागृत रखता है।

अनर्थदण्ड मुख्य रूप से चार प्रकार का माना गया है।

१. **अपध्यानाचरित :** दिना प्रयोजन आर्तिक्यान और रौद्रध्यान के वशीभूत होकर अनिष्ट संयोग, इह वियोग की खिंता करना, जीव को दण्ड देना अथवा क्रोध, भय, दुःख के कारण मन ही मन किसी प्राणी को दण्ड देने का विचार करना अपध्यानाचरित कहलाता है। अशुभ ध्यान के दो भेद हैं –
(अ) आर्तिक्यान : अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर उसके वियोग का चिंतन करना। इह वस्तु का वियोग होने पर उसके संयोग (प्राप्ति)

का चिन्तन करना। रोग या संकट प्राप्त होने पर अति दीन बनकर रोना, विलाना, शोक करना। भविष्यकाल में उत्तमोत्तम भोग भोगने का विचार करना आर्तध्यान है।

(आ) **रौद्रध्यान** : किसी को मारने या हानि पहुँचाने का विचार करना, विष खाकर, जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, पर्वत या ऊँचे स्थान से गिरकर, आत्महत्या करना, झूठ बोलने में आनन्द मानना, झूठी बात को सच्ची बनाने के लिए तर्क देना, चोरी करने में आनन्द मानना, चोरी करने का विचार करना, अति परिग्रह रखने में आनन्द मानना, अति परिग्रह बढ़ाने का विचार करना आदि शैद्रध्यान के अन्तर्गत आते हैं।

2. **प्रमादाचरिता** : विवेक न रखते हुए अपने आलस्य के कारण जीवों को दण्ड भोगना पड़े, वह प्रमादाचरित है। जैसे तरल पदार्थ से भरे वर्तन, झूठे वर्तन आदि खुले रख दिए जाय, धूल्हे को अनमुझा छोड़ दिया जाए और उससे त्रस जीवों का घात हो। श्रावक को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, सभी कायों में विवेक रखना चाहिए।

प्रमादाचरण के पाँच भेद हैं -

(अ) **अच्छाप्रमादाचरण** : मदिरा अथवा अफीम, गाँजा, भांग, तम्बाकू, धूप्रपान आदि अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना जिससे प्रमाद उत्पन्न होता है अथवा अहंकार उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति करना मद रूप प्रमादाचरण है।

(आ) **निद्राप्रमादाचरण** : बिना प्रयोजन निद्रारूप प्रमाद का आचरण करना अर्थात् नित्य कर्तव्य, धार्मिक क्रियाओं की

उपेक्षा उदासीनता करते हुए बेवक्त सोना।

(इ) विकथाप्रमादाचरण : स्त्रियों की, उनके व्यभिचार की, उनके सौन्दर्य की कथा करना, देश-विदेश के अनेक प्रकार के पकवान/व्यंजनादि खाने-पीने की पदार्थों की कथा करना, देश-प्रदेश के चाल-चलन, रीति-रिवाज और उन देशों के चोर, डाकू, बदमाश, चालाकों की कथा करना और राजाओं तथा उनके द्वारा लड़े गये संग्रामों की कथा करना, विकथाप्रमादाचरण है।

(ई) विषयप्रमादाचरण : विषयरूप प्रमाद का आचरण अर्थात् वाग, बगीचा, नाटक, फिल्म, रंग-शाग आदि पाँचों इन्द्रियों की विषयोद्दीपक सामग्री का सेवन करना।

(उ) कथाप्रदान : कथायरूप प्रमाद का आचरण करना अर्थात् बिना प्रयोजन लोधादि कथायों का सेवन करना।

३. हिंसाप्रदान : हिंसा के साधन इकट्ठे करना या तलवार, बंदूक आदि अस्त्र-शस्त्र किसी अविवेकी को प्रदान करना, रेशम आदि हिंसा जन्य व्यापार करना/वस्त्र काम में लेना, हिंसा जन्य सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री काम में लेना हिंसप्रदान है।

४. पापकर्मोपदेश : पापकर्म का उपदेश देना एवं पाप करने की प्रेरणा करना।

आठवां ब्रत थारण प्रतिज्ञा

आज से पहले यदि किसी भी प्रकार के अनर्थदण्ड का सेवन किया हो तो तस्स मिछामि दुक्कहं। आज के बाद मैं यावज्ञीवन दो करण और

तीन योग से अपश्यान-चरित, प्रमादाचरित, हिंसप्रदान, पापकर्मोपदेश – इन चारों प्रकार के अनर्थदण्डों का आठ आगार। आए वा (अपने लिए) २. राए वा (राजा के लिए) ३. णाए वा (जाति कुल के लिए), परिवारे वा (परिवार के लिए), देवे वा (देव के लिए), नागे वा (नागकुमार आदि भवनपति देवों के लिए), भूए वा (भूत के लिए) जक्खे वा (यक्ष के लिए) रखते हुए त्याग करता है/करती है तथा अर्थदण्ड में विवेक रखँगा/रखँगी।

ह

स्थावर काय की मर्यादा

पृथ्वीकाय : पृथ्वीकाय संबंधी बिना प्रयोजन कोई भी हिंसा नहीं करना। स्वयं के परिश्रहित मकान, घर आदि के अतिरिक्त पृथ्वीकाय के हिंसा का त्याग। व्यापार संबंधी मर्यादित क्षेत्र के भीतर आगार और बाहर त्याग।

आपकाय : सचित जल स्वयं के उपयोग के लिए, सगे संबंधी व्यापार संबंधी के लिए अथवा अनुकम्भा जनित उपरान्त आपकाय की हिंसा का त्याग तथा आकस्मिक वर्षा, ओस, हिम आदि का आगार। मर्यादित क्षेत्र के बाहर पूर्ण रूप से त्याग।

तेउकाय : घर परिवार के लिए, सगे संबंधी के लिए एवं व्यापार आदि के लिए मर्यादित क्षेत्र के उपरान्त तेउकाय की विराघना का एक करण तीन योग से त्याग।

वायुकाय : मर्यादित क्षेत्र को छोड़कर वायुकाय की विराघना का एक करण तीन योग से त्याग।

वनस्पतिकाय : मर्यादित क्षेत्र के बाहर वनस्पतिकाय की विराघना का एक करण तीन योग से त्याग।

अनर्थदण्ड से होने वाली वनस्पतिकाय की विराघना का दो करण तीन योग से त्याग। भूल चूक में आगार।

अस्ति, नस्ति, कृषि की मर्यादा

मर्यादित क्षेत्र के भीतर जितनी परिश्रह की मर्यादा रखी गई है उसके उपरांत असि, नसि और कृषि कर्म का संपूर्ण त्याग और परिश्रह के दायरे में एक करण एक योग से त्याग।

आठवें ग्रन्त के सहायक नियम

(जो धारण करना हो () छिन्ह लगा देवें)

१. रात्रि भोजन करना नहीं।
२. जानबूझकर दूसरों को खोटी / खराब सलाह नहीं देना।
३. दूसरों को अन्याय मार्ग पर चलने का उपदेश नहीं देना।
४. विवाह आदि में आतिशब्दाजी का प्रयोग नहीं करना।
५. जुआ नहीं खेलना। सप्तदुर्व्यसन का त्याग।
६. झूठा नहीं ढालना।
७. हिंसक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का त्याग।
८.
९.

(नोट : उपरोक्त नियमों में कुछ न्यूलाभिक करना हो तो रिक्त स्थान का प्रयोग करें।)

आठवें ग्रन्त में आगार

(जो आगार रखना चाहें () चिन्ह लगा देवें)

१. लोक व्यवहार से किसी का वियोग होने पर रुदन आदि आर्तध्यान करना पड़े तो आगार।
२. मन वश में न रहने से, कोमल स्वभाव होने से, विषय-बुद्धि में यदि आर्त/रौद्रध्यान हो जाए तो आगार।
३. उपयोग न रहने से यदि तेल, धी, पानी आदि के बर्तन उधाढ़े रह जाए तो आगार।
४. घाकू, छुरा, सरौता, कैंथी आदि वस्तुएँ घरेलू कार्यों हेतु किसी स्वजन, सगे-संबंधी को देनी पड़े तो आगार।
५. स्वजन के हितार्थ, अनुकम्भा के निमित्त किसी काम का उपदेश या आझा देनी पड़े तो आगार।

आठवें ग्रन्त के अतिथार

१. **कंदप्पे :** काम विकार को उत्पन्न करने वाली कथा करना तथा रोग के आवेश में हास्य मिथित मोहोदीपक मजाक करना।
२. **कुर्यकुर्ङ्गण :** भांडों की तरह आँख, नाक, मुख आदि अपने शरीर के अंगों को विकृत करके दूसरों को हँसाने वाली चेष्टाएँ करना।
३. **मोहरिण :** डिठाई और बाचालता के साथ असत्य और ऊटपटांग व्यथन बोलना।
४. **संजुताहिनरणो :** ऊखल और मूसल, शिला और लोड़ा,

बसोला और कुलहाड़ी, चाकू और दांतली आदि हिंसाकारी वस्तुएँ
निष्प्रयोजन अथवा प्रयोजन से अधिक संग्रह करके रखना।

५. उपभोगपरिमोआङ्गरिटो : भोग और उपभोग में आने वाली
खाने, पीने, पहनने आदि की वस्तुएँ परिमाण से अधिक संग्रह
करना।

मैंने आठवें व्रत के पांचों अतिवार भली प्रकार समझ लिए हैं, मैं
इनका त्याग करता हूँ/करती हूँ। मैं इस गुणव्रत का उपरोक्त प्रतिज्ञा और
नियम के अनुसार पालन करूँगा/करूँगी।

नौवाँ व्रत सामायिक

इस व्रत में श्रावक-श्राविका दो करण तीन योग से सावद्य प्रवृत्ति
का त्याग कम से कम ४८ मिनट तक के लिए करते हैं। सामायिक व्रत का
प्रयोजन सम्पूर्ण सावद्य क्रियाओं का त्याग कर आर्तध्यान, रौद्रध्यान दूर
करके तथा मन-बचन-काया की दुह प्रवृत्ति को समभाव में रखना है।
एक सामायिक का काल दो घड़ी अर्थात् एक मुहूर्त (४८ मिनिट) है।
सामायिक व्रत में यह आशा रखी जाती है कि श्रावक चौबीस घण्टों में कम
से कम दो घड़ी तक पापकारी प्रवृत्तियों से दूर रहे और समभाव की
साधना करें।

नौवाँ व्रत धारण प्रतिज्ञा

मैं अशुभ और सावद्य क्रियाओं के त्याग रूप, एक साल में
(संख्या), मास में (संख्या) और प्रत्येक दिन में
(संख्या) सामायिक यथा नियम करूँगा/करूँगी।

ह
.....

नौवें व्रत में आगार

रोग, यात्रा या अन्य किसी विशेष कारण से नियमानुसार सामायिक नहीं हो सके तो मेरे आगार है, किन्तु उस सामायिक को अन्य समय में पूर्ण करेंगा/करेंगी।

नौवें व्रत के अतिचार

सामायिक व्रत के पाँच अतिचार हैं जो नियमानुसार हैं -

१. **मणदुप्पणिहाणे :** मन का दुष्प्रयोग करना अर्थात् मन को बुरे विचारों में लगाना।
२. **वयदुप्पणिहाणे :** वचन का दुष्प्रयोग करना अर्थात् कठोर और सावध वचन बोलना।
३. **कायदुप्पणिहाणे :** सामायिक के समय देखे बिना और बिना पूंजे उठना, बैठना, शरीर से अशुभ प्रवृत्ति करना।
४. **सामाइयरस्य रसङ् अकरणाया :** सामायिक की स्मृति न रहना अर्थात् सामायिक लेने का समय भूल जाना।
५. **सामाइयरस्य अणवद्वियरस्य करणाया :** सामायिक का समय पूरा होने से पहले ही सामायिक पार लेना।

मैं नौवें व्रत सामायिक समझाव के पाँच अतिचारों का त्याग करते हुए इस व्रत को प्रतिज्ञानुसार पालने हेतु प्रतिबद्ध होता हूँ/होती हूँ।

ह
.....

सामायिक व्रत की प्रगतिकारक शिक्षाएँ

१. विषय-विकार को उत्पन्न करने वाले उपकरण और वस्त्र नहीं रखने चाहिए। स्त्री-पुरुष आदि के विषयोत्पादक चित्र हो ऐसे मकान में सामायिक नहीं करनी चाहिए।
२. निम्न बत्तीस दोष टालकर सामायिक करनी चाहिए।

मन के १० दोष	वचन के १० दोष	काया के १२ दोष
१. अविवेक दोष	१. कुवचन दोष	१. कुआसन दोष
२. यशोवाञ्छा दोष	२. सहसाकार दोष	२. चलासन दोष
३. लाभवाञ्छा दोष	३. स्वच्छन्द दोष	३. चलदृष्टि दोष
४. गर्व दोष	४. संक्षेप दोष	४. सावध क्रिया दोष
५. भय दोष	५. कलह दोष	५. आलंबन दोष
६. निदान दोष	६. विकथा दोष	६. आकुचनप्रसारण दोष
७. संशय दोष	७. हास्य दोष	७. आलस्य दोष
८. रोष दोष	८. अशुद्ध दोष	८. भोडन दोष
९. अविनय दोष	९. निरपेक्ष दोष	९. मल दोष
१०. अवहुमान दोष	१०. मुणमुण दोष	१०. विमासन दोष
		११. निदा दोष
		१२. वैयावृत्य दोष

सामायिक की महिमा

आर्त और रौद्र व्यान को त्याग कर सावध (पापमय) कायों से निवृत्त होना और एक मुहूर्त पर्यन्त मनोवृत्ति को समझाव में रखना—इसका नाम सामायिक व्रत है। सामायिक मन को स्थिर रखने की अपूर्व क्रिया है, अपूर्व आत्मिक शांति प्राप्त करने का संकल्प है, परम पद पाने

का सरल और सुगम रास्ता है। अखंडानन्द प्राप्त करने का गुप्त मंत्र है, दुःख समुद्र को तिरने का श्रेष्ठ जहाज है। अनेक कर्मों से मलिन हुई आत्मा को परमात्मा बनाने का सामर्थ्य सामाधिक किया में ही है। यह किया करने से आत्मा में रहे हुए दुर्गुण नाश होकर सदगुण प्राप्त होते हैं और परम शान्ति का अनुभव होता है।

दसवाँ देशावकासिक ऋत

इस ऋत में श्रावक ने पूर्व में छह दिशाओं की जो मर्यादा रखी है उसको प्रतिदिन के लिए कम करता है तथा मर्यादित क्षेत्र के बाहर अन्य किसी को भेजने का त्याग दो करण तीन योग से करता है। मर्यादित क्षेत्र में द्रव्यों की मर्यादा करता है तथा शेष त्याग एक करण तीन योग से होता है (अर्थात् चौदह नियम का पालन करता है।)

दसवाँ ऋत धारण प्रतिज्ञा

मैं अपने शरीर में सुख समाधि रहते हुए एक वर्ष में संवर
 दया दिन प्रतिक्रमण, नवकारसी, पोरसी,
 एकासन/उपवास/देश पौष्टि तथा चौदह नियम का महिने में
 दिन जीवन पर्यन्त पालन करूँगा/ करूँगी।

४४ नियम

सचित्तदब्ब विग्रह, पण्णी तांबूल वत्थ कुसुमेसु।
 वाहण सयण विलेवण, बंभ दिसि णाहण भसेसु॥

(१) **सचित्त :** सचित्त पानी, नमक, बनस्पति आदि सचित्त (जीवयुक्त) वस्तुओं की आवश्यकतानुसार नित्य मर्यादा करें।

- (२) द्रव्य : खाने-पीने सम्बन्धी द्रव्यों की नित्य मर्यादा करें।
- (३) विनाश : धी, तेल, दूष, दही, मीठा आदि विगयों की पुनः मर्यादा करें। औषधादि में आवश्यकतानुसार प्रयोग के अतिरिक्त महाविगय-शहद और मक्खन का त्याग करें।
- (४) पञ्ची : जूते-मौजे, चप्पल, खड़ाऊ आदि उपानहों की नित्य मर्यादा करें।
- (५) राम्बूल : पान, सुपारी, लोंग, इलायची या अन्य छूर्ण आदि की नित्य मर्यादा करें।
- (६) वस्त्र : पहनने-ओढ़ने के वस्त्रों की मर्यादा करें।
- (७) चुन्सुम : फूल, इत्र, परफ्यूम आदि सुगंधित वस्तुओं की नित्य मर्यादा करें।
- (८) वाहन : सभी प्रकार के वाहनों के उपभोग की नित्य मर्यादा करें।
- (९) शयन : शयन अर्थात् सोने और बैठने के कार्य में आने वाली वस्तुओं की नित्य मर्यादा करें।
- (१०) विलेपन : विलेपन अर्थात् शरीर पर लेप या मलने के काम में आने वाले द्रव्यों की नित्य मर्यादा करें।
- (११) ब्रह्मार्थ : अब्रहार्थ में संकोष करें अर्थात् स्वदार संतोष / स्वपति संतोष व्रत में ली गई मर्यादा को संकुचित करें।
- (१२) दिशा : दिशा परिमाण व्रत में ली गई मर्यादा को संकुचित करें।
- (१३) स्नान : स्नान की संख्या और भोग में आने वाले पानी की मात्रा को नित्य मर्यादित करें।

(१४) भर्ता : अशनादि चार प्रकार के आहार का परिमाण नित्य निश्चित करें। उपरोक्त चौदह नियमों के साथ-साथ छह कायः

(१) पृथ्वीकाय (२) अप्काय (३) तेजकाय (४) वायुकाय (५) बनस्पतिकाय (६) त्रसकाय की मर्यादा तथा तीन कर्मः (१) असि कर्म (२) मसि कर्म तथा (३) कृषि कर्म से सम्बन्धित मर्यादा पर भी नित्य चिन्तन कर उसमें संकोचन करें। (संस्था द्वारा प्रकाशित १४ नियम की स्वतन्त्र पुस्तक उपलब्ध है)

दसवें व्रत में आगार

- १) चिकित्सा की दृष्टि से नियम का पालन नहीं होवें तो प्रायशिष्ठत करें।
- २) यदि किसी नियम का पालन नहीं हो पावें तो एक मास में दिन रात्रि भोजन त्याग, सामायिक दण्ड के रूप में पालन करेंगा।

दसवें व्रत के अतिवार

१. **आणवणाप्पओगो** : मर्यादित क्षेत्र के बाहर के पदार्थों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भंगवाना।
२. **पेसावण्णाओगो** : वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा अथवा धन देकर मर्यादित क्षेत्र के बाहर का कार्य करवाना।
३. **साढ़ाणुवाए** : मर्यादित क्षेत्र के व्यक्ति से संकेत कर (छींक, इशारा व फोन, फेक्स) अथवा शब्द करके याद दिलाना/चेताना।
४. **रुक्खाणुवाए** : शारीरिक चेष्टाओं द्वारा मर्यादित क्षेत्र के बाहर के व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर उससे कार्य करवाना।

५. बहियापुठगलपवर्खेवे : मर्यादित क्षेत्र से बाहर प्रयोजन हेतु दूसरे के ध्यानाकरण के लिए पुढ़गल - जैसे कंकर आदि फेकना।

भ्यारहवाँ ब्रत प्रतिपूर्ण पौष्टि

इस ब्रत में श्रावक-श्राविका आठ प्रहर का प्रतिपूर्ण पौष्टि करते हैं।

भ्यारहवाँ ब्रत धारण प्रतिज्ञा

मैं वर्ष में बार, सुखे समाधे प्रतिपूर्ण पौष्टि दो करण तीन योग से सांसारिक इच्छाओं का त्याग, सर्व आहार, अब्रहा, भोगोपभोग, हिंसा आदि का त्याग करके आत्म पोषण की प्रवृत्ति में पुरुषार्थ प्रकट करूँगा।

ह.....

भ्यारहवें ब्रत में आगार

एक वर्ष में नियमानुसार स्वास्थ्य अथवा विशेष कारणवश कभी प्रतिपूर्ण पौष्टि नहीं हो पाये तो प्रायश्चित्त में निम्न प्रकार किया जा सकता है। आग व्रह के दो पौष्टि अथवा ६४ सामायिक करना अथवा गुरुदेवों से प्रायश्चित्त लेना।

भ्यारहवें ब्रत के अतिचार

- १) अप्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय सोजजासंथारे :

शथ्या संस्तारक को देखा न हो या अच्छी तरह से न देखा हो।

- २) अप्पमजिया दुप्पमजिया सेज्जा संस्थारणः
शाय्या संस्तारक को पूंजा न हो या अच्छी तरह से पूंजा न हो।
- ३) अप्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय उच्चारपासवण भूमि :
मलमूत्र आदि परठने की भूमि (त्याग करने की जगह) देखी न हो या अच्छी तरह से न देखी हो।
- ४) अप्पमजिया दुप्पमजिया उच्चारपासवण भूमि :
मलमूत्र आदि परठने की भूमि पूंजी न हो या अच्छी तरह से पूंजी न हो।
- ५) पोस्तहृत्व सम्बन्ध अणणुपालणया :
उपवास युक्त पौष्टि का सम्यक प्रकार से पालन न किया हो।

पौष्टि के २८ दोष

पौष्टि करने के पूर्व लगने वाले दोष :

- १) पौष्टि के पूर्व दिन दूंस-दूंस कर खाना।
- २) पौष्टि में प्रवेश करने के पूर्व नख-केश आदि की सफाई करना।
- ३) पौष्टि के पूर्व दिन मैथुन सेवन करना।
- ४) पौष्टि के विचार से वस्त्रादि धोना-धुलवाना।
- ५) पौष्टि करने के निमित्त से शरीर की स्नानादि शुश्रुषा करना।
- ६) पौष्टि के निमित्त आभूषण पहनना।

पौष्टि में लगानेवाले दोष :

- ६) अविरत से अपनी सेवा करवाना।
- ८) शरीर का मैल उतारना।
- ९) बिना पूँजे खाज खुजलाना।
- १०) दिन में और प्रहर रात बीत जाने के पूर्व नौंद लेना तथा रात्रि के पिछले प्रहर में उठकर धर्म-जागरण नहीं करना।
- ११) बिना पूँजे परठना।
- १२) निन्दा-विकथा करना-करना, हँसी-मजाक करना।
- १३) सांसारिक विषयों की चर्चा करना।
- १४) स्वयं डरना या दूसरों को डराना।
- १५) कलेश करना।
- १६) अयतना से बोलना।
- १७) स्त्री के अंगोपांग निरखना, मोहक दृश्य देखना, मोहक राग सुनना, सुगन्ध सूधना आदि।
- १८) सांसारिक सम्बन्ध से किसी को पुकारना।

उपरोक्त दोषों से रहित शुद्ध पौष्टि करना चाहिए।

बारहवाँ अतिथि संविभाग व्रत

आवक का बारहवाँ व्रत दान की ओर प्रेरित कर आत्मिक विकास की उच्चता की ओर ले जाता है।

सन्त-मुनिराजों को या स्वधर्मी भाई को यथाशक्ति भोजनादि का सुपात्र दान देना व्यवहार से अतिथि संविभाग ब्रत है। स्वधर्मी को, शिष्य को या गृहस्थ को ज्ञान देना, पढ़ाना, सिद्धांतों का शब्दण कराना, दीक्षा दिलाना एवं दीक्षा लेने वाले की अनुमोदना करना निश्चय से अतिथि संविभाग ब्रत है।

निर्दोष आहार, पानी, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पांचपोछन, पीठ, फलक, शव्या, संस्तारक, औषध और भेषज – ये चौदह प्रकार की वस्तुएँ केवल आत्मकल्याण की भावना से भवित भावपूर्वक पंच महाव्रतधारी साधु-साधिकयों को आगम कल्प के अनुसार देना अतिथि संविभाग ब्रत है।

आव-प्रतिज्ञा

मैं साधु-साध्वी का योग मिलने पर आहारादि चौदह प्रकार की निर्दोष वस्तुएँ भक्ति-भाव से, निष्काम बुद्धि से, आत्म कल्याण के लिए देने की भावना भाऊँगा।

आवग्ना

साधु-साधिकयों का संयोग मिलने पर निर्दोष, प्रासुक, एषणीय, कल्पनीय आहारादि विवेक बुद्धि से अतिचार दोष टालकर देने की भावना रखता है।

बारहवें ब्रत के अतिचार

१. **साधितगिवर्खेवण्या :** साधु/साधिकयों को नहीं देने की बुद्धि से अचित वस्तु को सचित वस्तु पर रखना अथवा अचित वस्तु में सचित वस्तु मिलाना।

२. **सचित्पिहण्या** : साधु/साध्वियों को नहीं देने की बुद्धि से अचित् वस्तु को सचित् वस्तु से छकना।
३. **कालाङ्कन्मे** : साधु/साध्वियों के भिक्षा समय को टाल देना अर्थात् भिक्षा के समय से पहले या पीछे आहार-पानी के लिये साधुओं से प्रार्थना करना।
४. **परोवएस्टो** : दान देने के लिए पराई वस्तु को अपनी और दान न देने के अभिप्राय से अपनी वस्तु को पराई कहना। आप सूझता हुए दूसरों से दान दिलवाना।
५. **अच्छरियाए** : मत्सर भाव (ईर्ष्या) से दान देना।

बारहवें भ्रात की प्रगतिकारक शिक्षाएँ

१. श्रावकों को स्वयं सचित् पदार्थों का त्याग करना चाहिए। घर का द्वार अभंग खुला रखना चाहिए।
२. साधु/साध्वी को चौदह प्रकार का प्रासुक (निर्दोष) आहारादि द्रव्य देने की भावना रखनी चाहिए।
३. साधु/साध्वी के पधारने पर जिन-जिन कल्पनीय वस्तुओं का योग हो, उनको भाव सहित श्रमण और श्रमणियों के सम्मुख उपस्थित करना चाहिए तथा उनमें जो साधु/साध्वी के उपयोग में आ सके, उस वस्तु को चढ़ते परिणाम से देना चाहिए।
४. साधु/साध्वी द्वारा आहारादि प्रतिलाभते समय अपने या आहार पानी के असूझते न होने का पूरा ध्यान रखना चाहिए।
५. श्रमण और श्रमणियों के अतिरिक्त भी जो दीन-दुःखी अनाथ आयें उन्हें अनुकम्पा की बुद्धि से दान देने की मनाई नहीं है।

परिशिष्ट

फलों के नाम

(जो रखने हों (✓) चिन्ह लगा देयें)

१. आम	१८. लीची	३५. कटहल (जैकफ्रूट)
२. अंगूष्ठ	१९. जामुन	३६.
३. केला (सभी जाति)	२०. तरबूज	३७.
४. नारंगी	२१. शहदूत	३८.
५. अमरमंद	२२. सिंधाडा	३९.
६. मौसम्बी	२३. गन्ना	४०.
७. सेब	२४. पीलू	४१.
८. पपीता	२५. बोर (सभी प्रकार के)	४२.
९. थीकू	२६. कनोल	४३.
१०. नाशपाति	२७. रासपयरी	४४.
११. खरबूजा	२८. पक्की निंबोली	४५.
१२. अनार	२९. सीताफल	४६.
१३. शरीफा	३०. टीवरु	४७.
१४. नारियल	३१. नुगु (ताडफल)	४८.
१५. खुरबानी	३२. कीदी	४९.
१६. आलुबुखारा	३३. स्ट्रोबेरी	५०.
१७. अन्नानस	३४. ब्लैकबेरी	५१.

सब्जी

(जो रखनी हों (✓) चिन्ह लगा देवें)

१. मिठी	२१. पत्ता गोभी	४१. परबल
२. टींडसी	२२. मूळी के पत्ते	४२. बीठानीम
३. तुरई	२३. प्याजपत्ती	४३. बीन्स की फली
४. टमाटर	२४. पोदीना	४४. मुरुका (सहजन)
५. केशी	२५. तुलसी	४५. कच्छा केला
६. घीया	२६. पालक	४६. छदले की फली
७. हरा धनिया	२७. बब्युआ	४७. मुगफली
८. चंदलिया	२८. कच्ची मिर्च	४८.
९. करीदा	२९. शिमला मिर्च	४९.
१०. करेला	३०. मेथी के पत्ते	५०.
११. मटर	३१. कैंर (टींड)	५१.
१२. हरा चना	३२. आँवला	५२.
१३. हरा गेहूँ	३३. ककड़ी (साभी)	५३.
१४. भुजा	३४. काघरा (कघरी)	५४.
१५. गोणरी	३५. पान	५५.
१६. गवारफली	३६. सांगरी	५६.
१७. सोमफली	३७. नीबू	५७.
१८. लोधियाफली	३८. करासबीन	५८.
१९. फूल गोभी	३९. गिल्की	५९.
२०. गाँठ गोभ	४०. चंवला	६०.

६१.	७५.	८९.
६२.	७६.	९०.
६३.	७७.	९१.
६४.	७८.	९२.
६५.	७९.	९३.
६६.	८०.	९४.
६७.	८१.	९५.
६८.	८२.	९६.
६९.	८३.	९७.
७०.	८४.	९८.
७१.	८५.	९९.
७२.	८६.	१००.
७३.	८७.	
७४.	८८.	

जमीकंद के नाम

(जहाँ तक संभव हो जमीकंद का पूर्ण त्याग करें)

१. आलू	६. मूली	११. लहसुन
२. प्याज	७. गाजर	१२.
३. शक्करकंद	८. कच्ची हल्दी	१३.
४. अरबी	९. अदरख	१४.
५. शलजम	१०. चुकंदर	१५.

श्रावक के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बातें

१. बच्चों में धार्मिक संस्कार देना, स्वच्छंदाचारी नहीं बनने देना।
अनुशासन में रखना।
२. बच्चों को संतों से सप्त कुव्यसन का त्याग करवाना।
३. बच्चों को स्कूल में मांसाहारी व गंदे बच्चों की दोस्ती से मना करना।
४. सबेरे शुभ विचारों के समय टी.वी. नहीं चलाना, सामायिक-स्वाध्याय करना। बड़ी साथ-दंदना पढ़ना, नित्य पूज्य जयमलजी म.सा. की माला फेरना।
५. कोई बात समझ में न आये तो प्रश्न लिखकर रखना। अच्छे (ज्ञानी) संतों से पूछकर समाधान कर लेना चाहिए। श्रद्धा को ढावाँडोल नहीं होने देना।
६. स्थानक में सामायिक में फालतू बैठे बातें करते हुए लोगों को,
अच्छा साहित्य वांचन करके सुनाना।
७. श्रावकों को नमस्कार करना हो तो, उन्हें जय-जिनेन्द्र बोलना।
घर में बड़ों को प्रणाम करते समय भी जय-जिनेन्द्र बोलना।
८. सोते समय, प्रातः उठते समय, बाहर गाँव जाते समय, भोजन
करते समय पहले नवकार मंत्र गिनना।
९. भोजन में कहीं पर भी झूटा नहीं ढालना।
१०. रात्रि में सोते समय सागारी संथारा करने का लक्ष्य रखना।
११. आठ दिन पर्युषण में सैर सपाटे, पिकनिक, दूर, व्यापार, धन्धा,

घूमने आदि का प्रोग्राम नहीं बनाना। एक स्थान पर रहकर धर्मध्यान करना।

१२. धर्म कार्य में किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखना अर्थात् कोई साथ हो तो दया, पौष्टि, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि कर लैं कोई नहीं हो तो मैं अकेला क्या करूँ ? ऐसा विचार नहीं रखना। मुझे तो मेरा कल्याण करना है, ऐसा सोचना।
१३. धर्मध्यान के लिए औरों को भी प्रेरणा करते रहना।
१४. स्वधर्मी बन्धु कोई दुःखी हो तो सहयोग करने में प्रमाद नहीं करना।
१५. अधर्म का पोषण हो, जैसे – स्कूल में मेंढक आदि चीरते हों, अस्पताल में गर्भपात करते हों या सलाह देते हों, अंडा-मांस खाने की सलाह देते हों, जहाँ ऐसे डॉक्टर बैठते हों ऐसी जगह चन्दा नहीं देना।
१६. मांसाहारी को मांस छुड़ाने की दृष्टि से अनुकम्पा दान देने में बाधा नहीं है।
१७. त्याग-तपस्या के निमित्त आठम्बर नहीं करना, धार्मिक संस्कारी साहित्य भेट देने का लक्ष्य रखना। धार्मिक उपकरणों से मान-सम्मान करना।
१८. अहिंसा, सत्य, दयाभय धर्म की वृद्धि हो, उस जगह दान देकर, समय देकर, काम करने में कंजूसी नहीं करना। जैसे-धार्मिक पाठशाला शिविर, बढ़ों को दया करवाना। धर्मस्थान की कमी पूर्ति आदि की उपेक्षा करके अधर्म में दान नहीं देना।

१९. समाज में पद व मान-प्रतिष्ठा, अपने विचारों को चलाने का आग्रह आदि की लालसा से झगड़े, कथाय, फूट आदि नहीं ढालना। धर्मध्यान व स्थानक में आना बन्द नहीं करना। शुद्ध गुरु पश्चिम व धर्म से श्रद्धा हटाकर धर्म परिवर्तन भी नहीं करना।
२०. दूसरों की गलतियाँ देखकर उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अपमानित करने का लक्ष्य छोड़कर आत्मार्थी बनना तथा धीर, वीर, गम्भीर बनकर धर्मध्यान में मस्त रहना। कोई समझना चाहे, तो शांति से समझाना। नहीं समझे तो अपने आप को कथायादि से बचा लेना।
२१. जीवन-निर्वाह हो सके इतनी सम्पत्ति हो जाए तो लड़कों को व्यापार संभलाकर स्वयं निवृत्त हो जाना। अधिक से अधिक धर्मध्यान करना तथा आत्मिक शान्ति के लिए अधिक समय गुरु-भगवन्तों की शरण में बिताना। शक्ति हो तो दीक्षा लेना।
२२. शादियों में डांस, नृत्य, बैण्ड बाजे वाले को पैसे उछालना, दर्शन यात्रा व जीमण में कंदमूल का प्रयोग, दहेज की माँग आदि सामाजिक कुरीतियाँ बन्द करने का लक्ष्य बनाना।
२३. संतों के दर्शनार्थ जायें तो वहाँ सामाजिक संवर अवश्य करना। रात्रि भोजन और कंदमूल का उपयोग नहीं करना।
२४. अपने मुख से कभी गाली-गलौज व अश्लील शब्द नहीं बोलना।

श्रावकजी के २१ गुण

जिनेश्वर भगवंत के प्रियधर्मी, दृढ़धर्मी श्रावक में निम्नलिखित २१ गुण होते हैं -

१. श्रावकजी नव तत्त्व और पचीस क्रिया के जानकर होवें।
२. श्रावकजी धर्म आत्माधना में किसी की सहायता की इच्छा नहीं करें।
३. श्रावकजी धर्म पर दृढ़ रहें। यदि कोई धर्म से छिगाना चाहे, तो छिगे नहीं।
४. श्रावकजी श्री जिन धर्म में शंका नहीं करें, परदर्शन की इच्छा नहीं करें और करनी के फल में सन्देह नहीं लावें।
५. श्रावकजी सूत्र, अर्थ और दोनों को प्राप्त करने वाले, ग्रहण करने वाले, पूछ कर निश्चित करने वाले और रहस्य ज्ञान प्राप्त करने वाले होवें।
६. श्रावकजी की धर्म रूचि इतनी गहरी हो कि जिसका प्रभाव रक्त और मांस पर ही नहीं, हड्डियों की मजा तक में व्याप्त हो जाय।
७. श्रावकजी निर्ग्रन्थ-प्रवचन ही सार है, अर्थ और परमार्थ है, शेष सभी बातें, सभी वस्तुएँ और सभी संयोग अनर्थ है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखें, अन्य बन्धुओं में चर्चा करें।
८. श्रावकजी कूँड, कपट, ठगाई, अन्याय, अनीति एवं अनाचार से दूर रह कर अपनी जीवन एवं आजीविका, न्याय नीति, सदाचार और धर्म-साधना से निर्मल एवं स्वच्छ रहें।

१. श्रावकजी धर्मदान के लिए अपने घर के द्वार खुले रखें।
२०. श्रावकजी प्रति मास दोनों पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इस प्रकार छह पौष्टि करें।
११. श्रावकजी के सदाचार की प्रतिष्ठा इतनी व्यापत हो जाये कि यदि वे धन से भरे हुए भण्डारों और महिलाओं के निवास-अंतःपुर (राजाओं के रनवास) में भी घले जायें तो इन पर किसी प्रकार की शंका नहीं हो, उनका विश्वास हो।
१२. श्रावकजी अपने ब्रत नियमों का निर्दोष रीति से पालन करें।
१३. श्रमण निर्गन्धों को भक्तिपूर्वक निर्दोष आहारादि का दान करें।
१४. श्रावकजी धर्म का प्रचार करें। वक्तव्य, लेखन, भाषण आदि से धर्म की वृद्धि करें।
१५. श्रावकजी अल्प इच्छा वाले होवें। लोभ को वश में रखें।
१६. श्रावकजी अल्प आरम्भ वाले होवें।
१७. श्रावकजी प्रतिदिन तीन मनोरथ का चिंतन करें।
१८. श्रावकजी गुणवान् साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका की प्रशंसा करें।
१९. श्रावकजी उभयकाल प्रतिक्रमण करें।
२०. श्रावकजी सहधर्मी भाई-बहिनों की सहायता करें।
२१. श्रावकजी नित्य सामायिक करें, धर्मोपदेश सुनें।

आवक का वचन व्यवहार

अमणोपासक का वचन व्यवहार उत्तम प्रकार का होता है। इसके आठ नियम इस प्रकार हैं :—

१. आवकजी थोड़ा बोले।
२. आवकजी आवश्यकता होने पर बोले।
३. आवकजी मीठा बोले।
४. आवकजी चतुराई पूर्वक अवसर के अनुसार बोले।
५. आवकजी अहंकार रहित वचन बोले।
६. आवकजी मर्म खोलने वाला एवं आधात-जनक वचन नहीं बोले।
७. आवकजी सूत्र-सिद्धांत के न्यायुक्त बोले।
८. आवकजी सभी जीवों के लिए हितकारक वचन बोले।

आवक के ३ अनोखे

प्रतिदिन प्रातःकाल सामाधिक करते समय अथवा यों ही आवक को निम्न तीन अनोखे का विन्तान करना चाहिए :—

१. वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करूँगा।
२. वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं संसार की मोह-माया का त्याग कर पंच महाव्रत धारी साधु बनूँगा।
३. वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं संलेखना-संथारा सहित समाधिभरण को प्राप्त करूँगा।